

कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री अनिल संत,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री के०आर०बी०एल०लि०,बा०अचेसा,बी०एस०रोड,गौतमबुद्ध नगर।
प्रा०प०सं०- 319/2008
प्रार्थी की ओर से- श्री अनिल मित्तल,चेयरमैन ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 7-7-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी एक प्रा०लि० कम्पनी है जो वाणिज्य कर विभाग नोएडा में पंजीकृत है । व्यापारी द्वारा धान से चावल का निर्माण करके देश के बाहर चावल का निर्यात किया जाता है । उक्त निर्यात के लिये उनके द्वारा प्रदेश की विभिन्न मण्डियों से किसानों/ कच्चे आढ़तियों के माध्यम से धान का कय किया जाता है। उससे चावल का निर्माण कर चावल का निर्यात किया जाता है । व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत निम्न प्रश्न पूछे गये हैं:-

Whether the kachcha Arhtias of U.P.who made the purchases of Paddy from Farmers for and on behalf of KRBL Ltd ,in the capacity of KRBL agent or purchases of Paddy by KRBL Ltd directly from Farmers is exempt from payment of tax under U.P.VAT Act 2008.

व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा 7[a][iii] के अनुसार

Sale or purchase where such sale or purchases take place -

In the course of the export out of or in the course of the import into,the territory of india.

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5(3)निम्नप्रकार है :-

"Notwithstanding anything contained in sub section[1],the last sale or purchase of any goods preceding the sale of purchase occasioning the export of those goods out of the territory of india shall also be deemed to be in the course of such export,if such last sale or purchase took place after,and was for the purpose of complying with,the agreement or order for in the relation to such export".

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15(ca)निम्नप्रकार है :-

Restrictions and conditions in regard to tax on sale or purchase of declared goods within a state- Every sales tax law of a state shall,in so far as it imposes or authorizes the imposition of a tax on the sale or purchase if declared goods,be subject to the following restrictions and conitions,namely-[ca] where a tax on sale or purchase of paddy referred to in sub-clause [i] of clause[i]of section 14 is leviable under that law and the rice procured of such paddy is exported out of india,then for the purposes of sub section [3] of section 5,the paddy and rice shall be treated as a single commodity .

अतः व्यापारी का कथन है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा15(ca) से यह स्पष्ट है कि यदि धान से चावल बना कर उसका निर्यात देश के बाहर किया जायेगा तो ऐसी दशा में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत पैडी व राइस को एक ही वस्तु माना जायेगा । अतः जब उनकी फर्म द्वारा स्वयं या अपने एजेन्ट के माध्यम से कच्चा आढ़तियों या किसान से धान खरीद कर चावल का निर्यात किया जाता है तब वह भी केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत आयेगा तथा कच्चे आढ़तियों के माध्यम से की गयी खरीद या किसानों से की गयी खरीद पर समव्यवहार की प्रकृति में कोई अन्तर नहीं आयेगा । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनकी फर्म उ०प्र० की विभिन्न मण्डियों में धान खरीदने के लिये पंजीकृत भी है । इसके लिये उनके द्वारा मण्डी में पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपियाँ दाखिल की गयी हैं । व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि कच्चे आढ़तियों या किसान से निर्यात

कमश:पृष्ठ 2 पर



के०आर०बी०एल०लि०,गा०अचेसा,बी०एस०रोड,गौतमबुद्ध नगर।

प्रा०प०सं०-319/2008

हेतु चावल निर्माण हेतु धान की खरीद की जाती है। उस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत खरीद पर कोई भी कर का दायित्व नहीं बनता है। यही नहीं व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि धारा 13(1)के अन्तर्गत यदि खरीदे गये समान को पुनः निर्यात हेतु बिक्री किया जाता है तो उसकी पूरी धनराशि पर इनपुट टैक्स का लाभ मिलेगा। व्यापारी द्वारा बताया गया कि निर्यातक होने के नाते उन पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 7(क)।।। के अन्तर्गत कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत धारा 5(3) सपलिट 15(c)के अनुसार धान व चावल एक ही वस्तु माना गया है। व्यापारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्टेट आफ कर्नाटक बनाम बी०एम०असरफ तथा सर्वश्री एलकेडरा एक्सपोर्ट बनाम स्टेट आफ केरला तथा सर्वश्री मोंगा राइस मिल बनाम स्टेट आफ हरियाणा 135 एसटीसी पेज 549 के निर्णय संलग्न किये गये हैं।

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, नोएडा जोन, नोएडा ने अपने पत्र संख्या-1484 दिनांक 18-09-2008 तथा संयुक्त कमिश्नर (कार्यपालक)के पत्र संख्या-367 दिनांक 10-9-08 द्वारा व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार तीन तरह की बिक्री होती है, स्थानीय बिक्री, केन्द्रीय बिक्री और निर्यात बिक्री। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5(1)सीधे निर्यात से सम्बन्धित है तथा धारा 5(3)एक्सपोर्ट के पूर्व की खरीद एवं बिक्री के बारे में बताती है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 15(c) निर्यात के लिये धान या चावल को एक ही वस्तु बताती है। अतः माननीय न्यायालयों एवं विधिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उनकी आख्या निम्नवत् है :-

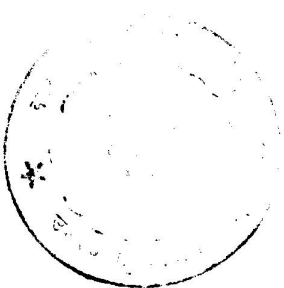
(1)कच्चा आढ़ती धान की खरीद सर्वश्री के०आर०बी०एल० के एजेन्ट के रूप में करता है, अतः मान०सर्वोच्च न्यायालय के वाद सर्वश्री दी सीमेन्ट एलाकेशन एण्ड कोर्डिनेशन ओरगेनाईजेशन (29एसटीसी114)में दी गयी विधिक व्यवस्था के अनुसार एजेन्ट भी उन्हीं करमुक्तियों का अधिकारी है, जो कि उनके प्रिन्सीपल को है। इस सम्बन्ध में वैट अधिनियम की धारा-13(9) निम्न प्रकार है :-

(9) Where any goods purchased from within the state, are sold by a principal through a selling agent or where any goods are purchased by a purchasing agent on behalf of a principal, input tax, in respect of purchase of such goods, shall be claimed by and be allowed to the principal in such manner as may be prescribed.

(2) कच्चे आढ़ती द्वारा सर्वश्री के०आर०बी०एल० के एजेन्ट के रूप में की गयी खरीद कच्चे आढ़ती एवं सर्वश्री के०आर०बी०एल० के मध्य कय/विकय नहीं माना जा सकता है।

(3) वैट अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 5(3) एवं धारा 15(c) के परिप्रेक्ष्य में सर्वश्री के०आर०बी०एल० के एजेन्ट के रूप में कच्चे आढ़ती मार्फत की गयी धान की खरीद पर जिससे निर्मित चावल को सर्वश्री के०आर०बी०एल० द्वारा निर्मित किया जाता है, पर कोई कर आरोपित करना विधिक दृष्टि से विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

कमशः पृष्ठ 3 पर



सर्वश्री के0आर0बी0एल0लि0, ग्रा0अचेसा, बी0एस0रोड, गौतमबुद्ध नगर/प्रा0प0सं0-319/2008

(4) ऐसा ही निर्देश आयुक्त बिक्रीकर उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 10 जनवरी 1991 में नई इकाई को एजेन्ट के द्वारा की गयी बिक्री को नई इकाई की बिक्री मानते हुये करमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(5) मेरे विचार से सर्वश्री के0आर0बी0एल0 द्वारा कच्चे आढ़ती के मार्फत की गयी खरीद ,जिससे चावल सर्वश्री के0आर0बी0एल0 द्वारा निर्मित किया जाता है ,वैट अधिनियम की धारा-7 केपरिप्रेक्ष्य में न तो सर्वश्री के0आर0बी0एल0 पर कोई कर आरोपित किया जा सकता है और न ही उनके एजेन्ट पर कर आरोपित किया जा सकता है।

(6) निर्यात करने हेतु माल की खरीद अथवा निर्यात हेतु माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे पैकिंग माल की खरीद पर देय कर के वापसी का जो भुगतान करने के प्राविधान 15(ca) 5(3)/15(ca)सी0एस0टी0 एक्ट से आच्छादित है,में लागू नहीं होंगे क्योंकि वैट अधिनियम की धारा-7 के अनुसार उक्त प्रकार की खरीद पर कोई कर आरोपित नहीं किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा-15(3) के परन्तुक में एक्सपोर्ट के व्यापारियों को आई0टी0सी030 दिन के अन्दर रिफण्ड करने का प्राविधान किया गया है परन्तु धारा-7 वैट एक्ट के अनुसार धान से चावल बनाने के लिये धान की खरीद पर एक्सपोर्ट के मामले में उपरोक्त विवेचन के आधार पर कर आरोपित करना विधि संगत प्रतीत नहीं होता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री अनिल मित्तल,चेयरमैन उपस्थित हुये और प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

4- मैंने व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों ,प्राप्त विभागीय आख्या का अवलोकन किया। व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों में किसी विशेष "particular sale Or purchase" का उल्लेख नहीं किया गया है । व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59[1] a,b,c,d,e के अन्तर्गत नहीं आते है क्योंकि व्यापारी द्वारा किसी "particular sale Or purchase" का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्णित परिस्थितियों में व्यापारी द्वारा उठाया गया प्रश्न धारा-59 के अन्तर्गत न आने के कारण धारा-59 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 19 जून,2009

ह0/19-6-09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।



19/6